OIC

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 3828 /अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 18/06/2015

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2015 के निर्णयानुसार **प्रतिभा फूलझर कॉलेज, ग्राम–बालसी, तह.–सरायपाली, जि.–महासमुंद** को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	बी.काम.-I	60	2015–16
2.	बी.काम. -I कम्प्यूटर	30	

शर्तें :–

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
4. बी.काम. द्वितीय वर्ष की सम्बद्धता हेतु 28 फरवरी, 2016 तक शुल्क जमा कर आवेदन विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से दें।
5. आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रू. 15,00,000/– (पंद्रह लाख रूपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
6. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
7. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
8. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति शीघ्र पूर्ण करेंगे।
9. परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
10. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 17–22/2015/38–2 दिनांक 31.01.2015 में उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 3829 /अका./सम्बद्धता/2015 रायपुर, दिनांक : 18/06/2015

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा,
5. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग " ब "

भाग ' अ ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरिक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरिक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन :

(प्रतिवेदन में अनुषंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उललेख किया जाए । कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए , जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

बी. कॉम भाग-1, (60 सीट) तथा बी. कॉम. कम्प्यूटर (30 सीट) हेतु कमरों की संख्या पर्याप्त है तथा 15 कम्प्यूटर भी है। शिक्षक नहीं है। प्राचार्य भी नहीं है। पुस्तकालय में सम्बन्धित विषयों की पुस्तकें नहीं है। अतः शिक्षक, प्राचार्य, तथा पुस्तकें पर्याप्त क्रय करने एवं नियुक्त करने की शर्त पर मान्य किया जा सकता है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षरण –

Rajendra [signature]

प्रो. डॉ. आर. पी. दास , 14/5/15

आचार्य , प्रबंधन संस्थान

प. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय , रायपुर

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर एवं नाम – पता –

[signature] 14.05.15

प्रो. रोहिणी प्रसाद

आचार्य , अर्थषास्त्र, अ.शा.

पं. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय , रायपुर

विषय विषेषज्ञ/विषेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम – पता –

[signature] 14/05/2015

प्रो. ओ. पी. चंद्राकर

आचार्य , वाणिज्य विभाग

शासकीय महाविद्यालय , भाटापारा

दिनाक – 14/5/15

प्रति,

कुलसचिव,

प. रविषंकर शुक्ल विष्वविद्यालय ,

रायपुर (छ.ग.)

— —